फैक्स/ई-मेल

संख्याः/63 सी०कि/छः-पु0-5-17-800(03)/2016

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांकः 18 अप्रैल, 2017

विषय-आयुध नियमावली 2016 के नियम 19 के कम में शस्त्र लाइसेंसों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुध नियमावली 2016 के नियम 19 के कम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-वी-11026/127/2016-आर्म्स, दिनांक 27.01.2017, जिसकी प्रति एम0एच0ए0 भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध नियमावली 2016 के नियम 19 में निम्नवत् व्यवस्था की गयी हैः-

" 19. Extension of area validity of licence.—

(1) On receipt of an application from a licensee holding a licence in Form III, the licensing authority may extend the area of validity specified in his licence, if he is satisfied about the need of such extension subject to the condition that the licensing authority has the power to grant a licence in relation to the area to which extension is being sought.

(2) The application for extending the area validity for whole of India may be granted by the licensing authority as specified in column (5) of Schedule II, in respect of the following category of licensees, namely:-

(a) Union Ministers or Members of Parliament;
(b) Personnel of Defence Forces and Central Armed Police Forces;
(c) Officers of All-India Services;
(d) Officers in the Government or Government Sector Undertakings or Public Sector Undertakings with liability to serve anywhere in India;
(e) Dedicated sports persons and the sports persons specified in serial numbers (1) to (4) of the table in subrule (2) of rule 40.

(3) In other cases, where the licensing authority is satisfied that the nature of business or profession of the applicant requires him to carry arm or arms frequently beyond the existing jurisdiction and such a requirement may not be met by the issuance of a journey licence in Form XI of these rules, the application for extending the area validity for whole of India may be granted by the licensing authority specified in column (5) of Schedule II to the applicant. "

3. उपरोक्त व्यवस्था के कम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 27.01.2017 के माध्यम से शस्त्र लाइसेंसों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है, जिसके निम्नवत् प्राविधान दृष्टव्य हैः-

(1) आयुध नियमावली 2016 मे व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों का सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए सीमा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

(2) प्रतिषिद्ध बोर (Prohibited Bore) के अन्तर्गत आने वाले निर्बन्धित शस्त्रों हेतु आयुध नियमावली 2016 की अनुसूची 1 एवं 2 के अनुसार कटेगरी 1बी तथा 1सी (Restricted Arms) के लाइसेंसिंग प्राधिकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार(एम0एच0ए0) हैं तथा इनके

नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं एवं इनके सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए सीमा विस्तार हेतु सक्षम प्राधिकारी गृह मंत्रालय भारत सरकार। इसी प्रकार प्रतिषिद्ध बोर के शस्त्रों हेतु (आयुध नियमावली 2016 की अनुसूची 1 एवं 2 के अनुसार **कटेगरी 1ए)** के लाइसेंसिंग प्राधिकारी तथा नवीनीकरण प्राधिकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार(एम0एच0ए0) हैं।

(3) आयुध नियमावली 2016 की अनुसूची 1 एवं 2 में कटेगरी–।।। तथा अनुज्ञेय शस्त्रों (Permissible arms), जो गैर प्रतिषिद्ध बोर(Non Prohibited Bore) के अन्तर्गत आते हैं, से सम्बन्धित अधिकांश शस्त्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारी या तो जिला मजिस्ट्रेट हैं या राज्य सरकार। आयुध नियमावली 2016 की अनुसूची 2 के कालम 6 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र विशेष के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नवीनीकरण प्राधिकारी हैं। आयुध नियमावली 2016 की अनुसूची 2 के आयटम नम्बर–3 के अन्तर्गत कालम–3 से आच्छादित शस्त्रों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भारत वर्ष वैधता के साथ शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी, राज्य सरकार है तथा नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं।

इस प्रकार लाइसेंसिंग प्राधिकारी होने पर राज्य सरकार, उक्त प्ररतर–3(1) के अधीन सीमा विस्तार हेतु संपूर्ण भारत के लिए (यह संपूर्ण भारत या उसके किसी भी विशिष्ट भाग के लिए हो सकता है) के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

इसी प्रकार नियमावली के नियम 19 (2) में वर्णित व्यक्तियों **(a)** Union Ministers or Members of Parliament; **(b)** Personnel of Defence Forces and Central Armed Police Forces; **(c)** Officers of All-India Services; **(d)** Officers in the Government or Government Sector Undertakings or Public Sector Undertakings with liability to serve anywhere in India; **(e)** Dedicated sports persons and the sports persons specified in serial numbers (1) to (4) of the table in subrule (2) of rule 40.) की श्रेणियों के लिए, **जिला मजिस्ट्रेट**, अनुज्ञेय शस्त्रों (Permissible arms) की **श्रेणियों** के संबंध में संपूर्ण भारत तक क्षेत्र वैधता का विस्तार दे सकते है।

(4) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंसों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन पत्र संख्या–वी–11016/16/2009–आर्म्स, दिनांक 31.03.2010 का प्रभाव, आयुध नियम 2016 निर्गत होने के साथ समाप्त (superseded) हो गया है। आयुध अधिनियम 1959 के प्राविधानों एवं आयुध नियमावली 2016 के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र विस्तार से सम्बन्धित शस्त्र लाइसेंसों के आवेदनों को पूर्ण सन्तुष्टि एवं औचित्य स्थापित होने पर ही निस्तारित किया जायेगा।

4– व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति अधिकतम 03 वर्ष अथवा इससे कम अवधि के लिए भी प्रदान किया जा सकता है।

5– किसी भी शस्त्र लाइसेंस की सीमा उत्तर प्रदेश से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग तक किये जाने हेतु विचार करने से पूर्व गहनता से यह देखा जाना आवश्यक है कि लाइसेंसी द्वारा क्षेत्र विस्तार हेतु बताये गये कारण/आधार औचित्यपूर्ण हो। यथा यदि कोई लाइसेंसी व्यापारी है तो उसके व्यापार किये जाने के सम्बन्ध में अभिलेख/टिन नम्बर/आई0टी0आर0 इत्यादि आवेदन के साथ प्राप्त किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवा में है तो उसके अन्य प्रदेशों अथवा सम्पूर्ण भारत में सेवा किये जाने के दायित्वों से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण आदि प्राप्त किये जाय। कतिपय व्यक्तियों द्वारा अन्य प्रदेशों में मात्र रिश्तेदारी होने का हवाला देते हुए सम्पूर्ण भारत क्षेत्र विस्तार का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है; ऐसे आवेदनों के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य/अभिलेख तथा औचित्य स्थापित होने पर ही विचार किया जाय। सामान्य परिस्थितियों में अन्य प्रदेशों में रिश्तेदारी होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग तक सरसरी तौर पर न किया जाय, क्योंकि शस्त्र लाइसेंस अत्यन्त संवेदनशील विषय है और इसके दुरूपयोग से लोक शान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है।

6— चूँकि आयुध नियम 2016 के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार सम्पूर्ण भारत किया जाना लोक–शान्ति की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय है, अतः आयुध नियमावली 2016 के नियम 19(2) से आच्छादित आवेदकों के मामले में ही जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने स्तर से गहन छानबीन के उपरान्त औचित्य स्थापित होने पर अधिकतम 03 वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए सीमा विस्तार के प्रकरणों में निर्णय लिया जा सकता है, शेष समस्त मामलों में शस्त्र लाइसेंसों के सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग तक सीमा विस्तार के आवेदनों का गहन परीक्षण करते हुए सुसंगत रिपोर्ट/प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह विशेष रूप से देखा जाना आवश्यक है कि यदि किसी लाइसेंसी को बिजनेस अथवा रिश्तेदारी अथवा अन्य कारणों से उ0प्र0 के बाहर भारत वर्ष के किसी अन्य प्रदेश में जाने की आवश्यकता है और इस हेतु आवेदक के पास पर्याप्त कारण भी मौजूद है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदकों के शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग तक न करें, बल्कि आवेदक की आवश्यकतानुसार अल्प अवधि हेतु आयुध नियमावली 2016 के साथ प्रकाशित फार्म–XI (Journey Licence) में "यात्रा लाइसेंस" निर्गत किया जाय तथा फार्म–XI के बिन्दु संख्या–7 में यात्रा मार्ग (Route of Jouney) स्पष्ट रूप से इंगित किया जाय।

7— यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1664सी0वि0, दिनांक 13.01.2015 द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार शासन में प्राप्त हो रहे सीमा विस्तार विषयक प्रस्तावों को निम्नवत् प्रारूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें:—

क्र0 स0	आवेदक के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव के परीक्षण हेतु आवश्यक बिन्दु	सीमा विस्तार संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के साथ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का विवरण
01	आवेदक का नाम, पिता का नाम व पता तथा जन्मतिथि	
02	शस्त्र लाइसेंस का प्रकार(पी0बी0 अथवा एन0पी0बी0)	
03	आवेदक का सीमा विस्तार हेतु प्रस्तावित शस्त्र का विवरण, लाईसेंस संख्या एवं वैधता की तिथि तथा क्षेत्र(लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न की जाए)	
04	आवेदक के पास उपलब्ध अन्य शस्त्र लाईसेंस, उसकी वैधता तिथि एवं उनके क्षेत्र/सीमा का विवरण	
05	शस्त्र के सीमा विस्तार हेतु कारण/ आधार अभिलेखों/प्रमाण पत्र सहित व शपथ पत्र इत्यादि	
06	आवेदक के कथन पर पुलिस/ एल0आई0यू0 की आख्या एवं संस्तुति	
07	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की स्पष्ट संस्तुति	
08	जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति	

8— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार शस्त्र लाइसेंसों के सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग तक सीमा विस्तार विषयक प्रस्तावों को शासन के विचारार्थ अथवा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विचारार्थ उपरोक्त चेकलिस्ट में ही सूचनाए/रिपोर्ट/संस्तुति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपुर्यक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव, गृह